



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15012026-269367
CG-DL-E-15012026-269367

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947

No. 33]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2026

सं. 04/2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 33(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 51बी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के दिनांक 1 अप्रैल, 2023 की अधिसूचना संख्या 24/2023—सीमा शुल्क (गै.टै.), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में सा.का.नि. 261(अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 (जिसे आगे उक्त अधिसूचना कहा जाएगा) के द्वारा प्रकाशित हुआ था, में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

2. उक्त अधिसूचना में पैरा 2 के उप पैरा (1) में,-

- (क) अनुच्छेद (ग) में, "निर्यात बिल" शब्दों के पश्चात, "या डाक द्वारा निर्यात के लिए उक्त अधिनियम की धारा 84 के अधीन इलैक्ट्रॉनिक रूप से की गई प्रविष्टि" शब्द और आंकड़े जोड़े जाएंगे;
- (ख) अनुच्छेद (घ) के स्थान पर निम्नलिखित अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(घ) शिपिंग बिल या निर्यात बिल के लिए जिसे उक्त अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो या उक्त अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत डाक द्वारा निर्यात के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रविष्टि की गई, जहां उक्त अधिनियम की धारा 51 या धारा 84, जैसा भी लागू हो, के अंतर्गत निर्यात के लिए माल की निकासी और लोडिंग की अनुमति देने संबंधी आदेश जारी किया गया हो;”;

(ग) उप पैरा (5) के पश्चात निम्नलिखित उप पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“(5क) कि निर्यात विदेशी डाकघरों के माध्यम से किए जाते हैं जो उक्त अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत निर्यात के लिए डाक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रविष्टि करने और सीमा शुल्क स्वचालित प्रणाली में संसाधित करने की अनुमति देते हैं;”।

3. उक्त अधिसूचना के पैरा 6 में, स्पष्टीकरण के खंड (क) में, “निर्यात बिल” शब्दों के पश्चात, जहां-जहां वे आते हैं, वहां-वहां “या डाक द्वारा निर्यात के लिए उक्त अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई प्रविष्टि” शब्द और आंकड़े जोड़े किए जाएंगे।

4. उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रम संख्या 13 के सामने की प्रविष्टि में, “निर्यात बिल” शब्दों के पश्चात, शब्द और आंकड़े “ या निर्यात के लिए उक्त अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई प्रविष्टि, जिसे बाद में संसाधित किया जाएगा” जोड़े जाएंगे।

[फा. सं. 609/75/2017-ड्रॉबैक (भाग-I)]

ओम प्रकाश मीना, अवर सचिव

नोट : मुख्य अधिसूचना का प्रकाशन अधिसूचना संख्या 24/2023 – सीमा शुल्क (एन.टी) दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में, संख्या जीएसआर 261 (अ), दिनांक 1 अप्रैल, 2023 के द्वारा किया गया था और बाद में अधिसूचना संख्या 20/2024 – सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 11 मार्च, 2024 और अधिसूचना संख्या 50/2024 – सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 19 जुलाई, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department Of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2026

No. 04/2026-Customs (N.T.)

G.S.R. 33(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 51B of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 24/2023 – Customs (N.T) dated the 1st April, 2023, Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide G.S.R 261(E), dated the 1st April, 2023 (hereinafter referred to as the said notification), namely:-

2. In the said notification, in paragraph 2, in sub- paragraph (1), -

(a) in clause (c), after the words “bill of export”, the words and figures “or entry made electronically under section 84 of the said Act for exports by post processed” shall be inserted;

(b) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely: -

“(d) against the shipping bill or bill of export, presented under section 50 of the said Act or entry made electronically under section 84 of the said Act for exports by post where the order permitting clearance and loading of goods for exportation under section 51 or section 84 of the said Act, as applicable, has been made;”;

(c) after sub- paragraph (5), the following sub- paragraph shall be inserted, namely: -

“(5A) that the exports are undertaken through the foreign post offices which allow entry to be presented under section 84 of the said Act for exports by post electronically and processed on the customs automated system;”.

3. In the said notification, in paragraph 6, in the Explanation, in clause (a), after the words “bill of export”, at both places where they occur, the words and figures “or entry made electronically under section 84 of the said Act for exports by post” shall be inserted.

4. In the said notification, in the table, in the entry against Sl. No. 13, after the words “bill of export”, the words and figures “or entry made electronically under section 84 of the said Act for exports by post processed” shall be inserted.

[F. No. 609/75/2017-DBK (Pt-I)]

OM PRAKASH MEENA, Under Secy.

Note : The principal notification was published vide Notification No. 24/2023 – Customs (N. T) dated 1st April 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3 , subsection (i) , vide number GSR 261(E) , dated the 1st April 2023 and subsequently amended vide notification No 20/2024 –Customs (N.T) dated 11th March, 2024 and notification No 50/2024 –Customs (N.T) dated 19th July, 2024.